न्यायालय–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, नवादा।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–590/2025

(काशीचक थाना काण्ड सं0–186/2025)

अन्तर्गत धारा–85, 126(2), 115(2), 352, 351(2), 3(5) बी.एन.एस. एवं 3/4 डी.पी.एक्ट.

मोदासीर अली एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
22.04.2026	प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदक अभियुक्तगण **1.मोदासीर अली, 2.अंजार अली, 3.शफीका खातून** की ओर से काशीचक थाना काण्ड सं0–186/2025 अन्तर्गत धारा–85, 126(2), 115(2), 352, 351(2), 3(5) बी.एन.एस. एवं 3/4 डी.पी.एक्ट. में दाखिल किया गया है जिसमें उन्हें गिरफ्तार होने की आशंका है। आवेदन की प्रति अभियोजन को दी गयी है। अभियोजन का केस संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचिका आफरीन नाज की शादी मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार सैयद फरजान अली के साथ दिनांक 19.05.2022 को हुई थी। शादी के समय उसके पिता ने जेवर, कपड़ा एवं फर्नीचर जिसकी कुल कीमत करीब पन्द्रह लाख रूपये का सभी सामान दिया। शादी के बाद पति–पत्नी का संबंध कुछ दिन तक ठीक चला, उसके बाद उसके ससुराल वाले सभी ने मिलकर सूचिका से एक कार या पांच लाख रूपया की मांग करने लगे, नहीं मिलने पर उसके साथ गाली–गलौज, मारपीट एवं तरह–तरह से प्रताड़ित कर लगे। अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुज कुमार एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्रीमती तब्बसुम मेहर को सुना। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण की ओर से प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। उक्त आवेदक सं0–01 सूचिका के देवर है, आवेदक सं0–02 सूचिका के भैंसूर है, आवेदक सं0–03 सूचिका की सास है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप असत्य एवं बनावटी है। आवेदकगण विद्वान न्यायालय के आदेशानुसार बंधपत्र भरने को तैयार है। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से यह विदित होता है कि यह वाद धारा–85, 126(2), 115(2), 352, 351(2), 3(5) बी.एन.एस. एवं 3/4 डी.पी.एक्ट. के अंतर्गत दर्ज किया गया है। उक्त आवेदक सं0–01 सूचिका के देवर है, आवेदक सं0–02 सूचिका के भैंसूर है, आवेदक सं0–03 सूचिका की सास है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप सामान्य व सर्वव्यापी है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अंतिल बनाम् सी.बी.आई एवं अरनेश कुमार बनाम् बिहार सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। आवेदकगण **1.मोदासीर अली, 2.अंजार अली, 3.शफीका**	

न्यायालय–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, नवादा।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–590/2025

(काशीचक थाना काण्ड सं0–186/2025)

अन्तर्गत धारा–85, 126(2), 115(2), 352, 351(2), 3(5) बी.एन.एस. एवं 3/4 डी.पी.एक्ट.

मोदासीर अली एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार

लगातार....... 22.04.2026	**खातून** को इस आदेश के तिथि से 30 दिन के अन्दर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्म–समर्पण करने पर या गिरफ्तार होने पर उसके द्वारा 10,000/–(दस हजार) रूपये की समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ धारा–482(2) बी.एन.एस.एस. के प्रावधान के शर्तो का पालन करते हुए वचनपत्र के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार बंधपत्र प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। (लेखापित) (रश्मि) जिला एवं अ0 सत्र न्यायाधीश–पंचम नवादा।	